फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

रविदत्त बनाम जगदीश वगै0

मुकदमा नम्बर :– 161/2025 वाद धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से 33/2023	विशेष विवरण
	04.08.2025	प्रार्थीया मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत निर्णय व डिक्री में संशोधन करवाने अर्न्तगत धारा 152 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया गया है कि मुकदमा नम्बर 33/2023 बउनवानी रविदत्त बनाम जगदीश में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2025 को अन्तिम डिक्री पारित की गई है। इसके उपरान्त राज्य सरकार के सर्वे–रिसर्वे से वाद पत्र वर्णित भूमि खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 982, 983, 984, 985/1629, 987/1630, 1212/1620 कुल किता 13 का कुल रकबा 4.44 हैक्टेयर एवं नया खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 36, 37, 41, 42, 428, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56 कुल किता 12 कुल रकबा 4.5439 है0, वाके ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर बनाते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है। अतः सर्वे–रसर्वे के दौराने गत खसरा नम्बर, रकबा से बनाये गये हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को शामिल करते हुए पुनः संशोधित डिक्री एवं निर्णय किया जाना न्यायोचित एवं आवश्क है। बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली को रिकार्ड से तलब किया जाकर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना–पत्र एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के सर्वे–रिसर्वे के दौरान खसरा नम्बरान में संशोधन किया गया है। अतः प्राथीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हाल ही में सर्वे–रिसर्वे के दौरान जारी हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2025 में सर्वे–रिसर्वे से बने हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को शामिल किया जाकर, पुनः संशोधित निर्णय एवं संशोधित डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफतर हो। mnj सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–33/2023

उनवान

1. रविदत्त पुत्र हजारीलाल जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बरवाडा तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. जगदीश पुत्र बदरी (नाम हजफ)
2. रामेश्वर पुत्र बदरी
3. उषा देवी पत्नी स्व. सोमदत्त
4. सचिन पुत्र स्व. सोमदत्त
5. हेमेन्द्र पुत्र स्व. सोमदत्त
   समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बरवाडा तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर (राज)।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. उपतहसीलदार खेजरोली, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैकं, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा नांगल भरडा, तहसील चौमूँ, जिल जयपुर।
11. गंगा देवी पत्नी नानूलाल
12. घीसी देवी पत्नी रामचन्द्र
13. रामेश्वरी देवी पत्नी चौथमल
14. श्रवण देवी पत्नी रघुनाथ
15. संतोष देवी पत्नी मुरलीधर
    समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबततकासमाएवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
संशोधित निर्णय

दिनांक :–04.08.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.11.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या 225 के खसरा नम्बर 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 982, 983, 984, 985/1629, 987/1630, 1212/1620 कुल किता 13 का कुल रकबा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–33/2023
लगान–रविदत्त बनाम जगदीश वगै0
संशोधित निर्णय दिनांक–04.08.2025

1.44 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बरवाडा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू. अभि. नि. क्षैत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. उषा देवी पत्नि स्व0 सोमदत्त, सचिन, हेमेन्द्र पिता सोमदत्त हि.ब.हि. जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार का आराजी खसरा नम्बर 964/1 रकबा 0.61 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.61 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. रविदत्त पुत्र हजारीलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राम्हण सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 111/161 रा0म0ग्रा0बैंक शाखा नांलगभरडा को आराजी खसरा नम्बर 984/2 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 967/2 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 968 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 969 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 970 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.61 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. रामेश्वर पुत्र बदरी हि0 पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 987/1630 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 966 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 967/1 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 984/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 06 का कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. गंगा देवी पत्नी नानूलाल हि0 1/5, घीसी देवी पत्नी रामचन्द्र हि0 1/5, रामेश्वरी देवी पत्नी चौथमल हि0 1/5, श्रवण देवी पत्नी रघुनाथ हि0 1/5, संतोष देवी पत्नी मुरलीधर हि0 1/5, जाति अहीर, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1212/1620 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 985/1629 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 982 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 983 रकबा 0. 29 हैक्टेयर, कुल किता 04 का कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

नोट :– उक्त अन्तिम डिक्री की पालना, पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात दिनांक 06.02.2025 व सर्वे रिसर्वे के दौरान बने खसरा नम्बर एवं जारी मिलान क्षेत्रफल आदि के अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय) चौमूँ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर

Scanned with OKEN Scanner